YOGITA KUNWAR
Digitally signed by YOGITA KUNWAR
Date: 2024.03.14 17:43:29 +0530

14.03.2024

आवेदक द्वारा श्री मंजीत सिंह भाटिया अधिवक्ता ।

अनावेदकगण द्वारा श्री अरूण गुप्ता अधिवक्ता ।

प्रकरण आवेदन अंतर्गत आदेश 09 नियम 09 व्य०प्र०स० के आदेश हेतु नियत है परन्तु उक्त आदेश के पूर्व धारा 05 परिसीमा अधिनियम के आवेदन का निराकरण करना आवश्यक हैं। अतः प्रकरण धारा 05 परिसीमा अधिनियम पर आदेश हेतु नियत है। सुविधा की दृष्टि से उक्त आवेदन धारा 05 परिसीमा अधिनियम को **आई.ए.क्रमांक 02/2023** अंकित किया गया ।

इस आदेश द्वारा उक्त आवेदन का निराकरण किया जा रहा है।

आवेदक की ओर से मय शपथ पत्र यह आवेदन पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि वादी के द्वारा व्यवहार वाद क्रमांक 31 ब/2019 मननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था, जिसमें पैरवी हेतु वादी द्वारा अधिवक्ता मनजीत सिंह को नियुक्त किया गया था । प्रकरण अधिवक्ता महोदय की डायरी में दर्ज न होने के कारण उक्त प्रकरण को वादी पक्ष की अनुपस्थिति में दिनांक 06.07.2022 को खारिज कर दिया गया । माननीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने पर वादी अधिवक्ता को उक्त प्रकरण के अनुपस्थिति में खारिज किए जाने की जानकारी हुई तब अधिवक्ता महोदय द्वारा अविलंब नकल आवेदन प्रस्तुत किया गया व संबंधित आदेश की प्रमाणित प्रति दिनांक 12.08.2022 को प्राप्त हुई । उक्त प्रकरण की प्रमाणित प्रति अधिवक्ता द्वारा अपने कार्यालय में रखी गयी थी। जो कि निवास स्थान के शिफिटंग के दौरान भूलवश डिस्पोजल फाईलों में बांध दिए जाने के कारण संबंधित नकल खो गयी। उक्त प्रकरण की नकल खो जाने के कारण उक्त प्रकरण प्रस्तुत करने में नकल प्राप्ति दिनांक से 4 दिन व आदेश दिनांक से 26 दिन का विलंब हुआ हैं । उक्त प्रकरण को विलंब से प्रस्तुत करने में आवेदन अथवा उसके अधिवक्ता द्वारा जानबूझ कर त्रुटि नही की गयी है वरन अधिवक्ता की सदभाविक त्रुटि के कारण उक्त प्रकरण प्रस्तुत करने में विलंब हुआ है जो कि उक्त दर्शित कारण से क्षमा योग्य हैं । अधिवक्ता की सदभाविक त्रुटि की सजा पक्षकार को दिया जाना न्यायोचित नही हैं । प्रस्तुत आवेदन सदभावनापूर्वक है एवं आवेदन के समर्थन में शपथपत्र संलग्न हैं । अतः आवेदन प्रस्तुत करने में हुए विलंब को क्षमा करके आवेदन स्वीकार करने का निवेदन किया गया हैं ।

प्रतिवादी/अनावेदक की ओर से उक्त आवेदन का जवाब प्रस्तुत कर व्यक्त किया कि वादी द्वारा जानबूझकर प्रकरण में लापरवाही किया गया है एवं जानबूझकर लापरवाही को क्षमा नही किया जा सकता । वादी द्वारा दिनांक 28.07.2022 को नकल प्रति प्राप्त किया गया था तथा दिनांक 12.09.2022 को आदेश 09 नियम 09 सहपठित धारा 151 व्य०प्र०स० का जो आवेदन पेश किया गया हैं। उक्त वाद में दिनांक 02.07.2022 को तिथि निर्धारित था, जिसके पश्चात दिनांक 06.07.2022 को वादी ने जानकारी न होने का जो आधार बताया है झूठा हैं । डायरी में तिथि नोट करना, न करना अलग बात हैं एवं वादी द्वारा अपने वाद से संबंधत तिथि की जानकारी रखना अलग बात हैं, इसके बावजूद वादी दिनांक 06.07.2022 को वादी अनुपस्थित रहा है जिसका संपुष्टि दायक प्रमाण आवेदक के साथ प्रस्तुत नही किया गया हैं । वादी द्वारा दिनांक 12.09.2022 को आदेश 09 नियम 09 का आवेदन प्रस्तुत किया गया है उसके पश्चात दिनांक 20.12.2023 को मर्यादा अवधि धारा 05 का आवेदन प्रस्तुत किया जाना निःसंदेह वादी का वाद के प्रति अरूचि जाहिर करता है, इस प्रकार धारा 05 का जो आवेदन पेश किया गया है जिसे दिनांक 12.09.2022 को ही पेश करना था, उस स्थिति में जबकि वादी को एक बार आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त हो चुकी थी, उसका खो जाना कथन किया है, निश्चित ही वादी के षडयंत्रकारी बुद्ध का प्रतीक हैं, ऐसी स्थिति में वादी को धारा 05 परिसीमा अधिनियम का लाभ नही दिया जा सकता । अस्तु प्रस्तुत आवेदन आदेश 09 नियम 09 सहपठित धारा 151 व्य०प्र०स० शपथपत्र से भी समर्थित नही होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य हैं । वादी की ओर से विलंब, क्षमा आवेदन में मात्र वादी एवं उसके अधिवक्ता का शपथपत्र पेश किया गया है जो पश्चात्य बुध्दि का प्रतीक हैं, जिसे स्वीकार नही किया जा सकता । अतः वादी द्वारा प्रस्तुत आवेदन आदेश 09 नियम 09 व्य०प्र०स० तथा आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 05 परिसीमा अधिनियम निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया ।

उभयपक्षों का तर्क श्रवण किया गया ।

प्रकरण का अवलोकन किया गया । जिससे दर्शित होता है कि आवेदक द्वारा उक्त प्रकरण के प्रमाणित प्रति को भूलवश अपने निवास स्थान में शिफिटंग के दौरान भूलवश डिस्पोजल फाईलों में बांध दिया गया है जिसके कारण प्रकरण प्रस्तुत करने में नकल प्राप्ति से चार दिवस तथा आदेश दिनांक से 26 दिवस का विलंब कारित हुआ हैं । आवेदक के अधिवक्ता द्वारा भी उक्त त्रुटि के लिए पक्षकार को सजा न दिये जाने का निवेदन किया हैं । जिस पर आवेदक द्वारा भी शपथ पत्र प्रस्तुत कर यही कथन व्यक्त किया है। परन्तु

अनावेदक के अधिवक्ता द्वारा उक्त आवेदन के जवाब में आवेदक तथा उसके अधिवक्ता द्वारा जानबूझ कर की गयी लापरवाही को क्षमा नही किये जाने का निवेदन किया हैं। चूकि आवेदक द्वारा अपने आवेदन में अनुपस्थिति का जो कारण दर्शाया वह सद्भाविक प्रतीत नही होता है, क्योकि अधिवक्ता का यह कर्तव्य होता है कि वह अपने पक्षकारों के हितों के प्रति जागरूक रहे और न्यायालय में चल रहे कार्यवाहियों को अपने पक्षकारों को जानकारी प्रदान करें। यदि इस प्रकरण में आवेदक/वादी को सुनवायी का पूर्ण अवसर प्रदान नही किया जाता है तो न्याय की विफलता होगी एवं आवेदक/वादी को अपूर्णीय क्षति होगी। आवेदक द्वारा प्रस्तुत उक्त आवेदन का उचित गुणदोष के आधार पर निराकृत किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। अतः आवेदन अंतर्गत धारा 05 परिसीमा अधिनियम का स्वीकार करते हुये आवेदक के विलंब से प्रस्तुत आवेदन के निवेदन को क्षमा किया जाता हैं ।

प्रकरण आई.ए.क्रमांक 2/2023 निराकृत ।

प्रकरण आदेश 09 नियम 09 पर आदेश हेतु नियत किया जाता हैं ।

प्रकरण आदेश 09 नियम 09 पर आदेश हेतु कुछ समय पश्चात पुनः पेश किया जावे–

सही/–
(योगिता कुंवर)
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2
राजनांदगांव, जिला राजनांदगावं (छ०ग०)

पुनश्चः–

आवेदक द्वारा श्री मंजीत सिंह भाटिया अधिवक्ता ।

अनावेदकगण द्वारा श्री अरूण गुप्ता अधिवक्ता ।

प्रकरण आदेश 9 नियम 9 व्य0प्र0सं0 पर आदेश हेतु नियत है। सुविधा की दृष्टि से उक्त आवेदनआदेश 9 नियम 9 व्य0प्र0सं0 को **आई.ए.क्रमांक 01/2023** अंकित किया गया ।

इस आदेश द्वारा उक्त आवेदन का निराकरण किया जा रहा है।

आवेदक की ओर से मय शपथ पत्र यह आवेदन पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि यह प्रकरण दिनांक 06.07.2022 को न्यायालय में सुनवायी हेतु नियत था किन्तु वह अदम पैरवी में निरस्त कर दिया गया है। आवेदक के अधिवक्ता द्वारा पेशी तिथि 06.07.2022 को डायरी में नोट नही कर पाये थे । आवेदक अपने अधिवक्ता के भरोसे में रहकर न्यायालय द्वारा नियत पेशी तिथि में उपस्थित नही थें। उक्त पेशी दिनांक को पुकार के समय आवेदक तथा उनके अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित नही हो सके थे, जिस

कारण मामला अदम पैरवी में खारिज कर दिया गया। आवेदक/वादी द्वारा दिनांक 28.07.2022 को माननीय न्यायालय में उपस्थित होने पर वादी अधिवक्ता मंजीत सिंह को उक्त प्रकरण के अनुपस्थिति में खारिज किये जाने की जानकारी हुयी तब वादी अधिवक्ता द्वारा अविलंब नकल आवेदन प्रस्तुत किया गया व संबंधित आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि दिनांक 12.08.2022 को प्राप्त होने पर उक्त आवेदन पेश किया गया हैं ।

आवेदक/वादी द्वारा जानबूझकर उपेक्षा नही की है, बल्कि सद्भावनापूर्वक उपस्थित नही हो सके थे, आवेदक को प्रकरण में पूर्ण रूचि है और यदि प्रकरण पुनःस्थापित नहीं किया गया तो वादी को अपूर्णीय क्षति होगी । अतः आवेदन स्वीकार कर दिनांक 06.07.2022 को खारिज प्रकरण को पुनस्र्थापित करने की कृपा करें।

अनावेदक द्वारा उक्त आवेदन का जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 02.07.2022 को पेशी तिथि नियत ही नही थी । दिनांक 28.06.2022 को वाद सुनवाई हेतु नियत था । वादी के अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित होकर उक्त प्रकरण में आगामी तिथि प्राप्त किये थे । दिनांक 02.07.2022 को पेशी तिथि नही थी किन्तु चुक होने के पश्चात भी वादी एवं उसके अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित होकर पेशी तारीख नोट कर सकते थे किन्तु उन्होने ऐसा नही किया और दिनांक 06.07.2022 को भी प्रकरण की सुनवाई में जान–बुझ कर प्रकरण में अरूचि प्रकट करते हुए और वादी द्वारा प्रकरण में कोई रूचि न लेते हुए वाद को न चलाने की मंशा से यह जानते हुए अनुपस्थिति बताकर खारिज करवाये हैं । दिनांक 06.07.2022 को ही अधिवक्ता महोदय को वाद खारिज जोने की जानकारी हो गयी थी और वादी द्वारा प्रकरण में रूचि न लेने के कारण वाद में अधिवक्ता महोदय उपस्थित नही हो पाये और खारिज वाद को पुनः स्थापित किये जाने की समय सीमा अधिनियम के अंतर्गत एक माह की हैं, और प्रस्तुत वाद पत्र दिनांक 12.09.2022 को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया हैं जो कि अत्यधिक विलंब से प्रस्तुत होने के कारण आवेदक/वादपत्र निरस्त किये जाने योग्य हैं और जिस संबंध में आवेदक का शपथपत्र प्रस्तुत पेश नही हैं । वादी द्वारा प्रकरण में रूचि न लेते हुए अत्यधिक विलंब कारित कर परिसीमा अधिनियम में उल्लेखित समय सीमा का पालन न करते हुए यह आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है जो कि खारिज किये जाने योग्य हैं । वादी द्वारा जानबुझ कर की गयी स्वयं की गलती हेतु वह स्वयं जिम्मेदार हैं । प्रकरण कारण पर्याप्त व सदभावनापूर्ण नही हैं । वादी एवं उसके अधिवक्ता महोदय को प्रकरण के खारिज होने की संपूर्ण जानकारी थी और वादी द्वारा वाद में रूचि न लेने के कारण न्यायालय में जानबुझ कर उपस्थित न होने से वाद

खारिज किया गया है ऐसे कृत्य से न्यायालय का कीमती समय भी व्यर्थ में खराब होता हैं, इसलिए प्रस्तुत आवेदन/वादपत्र को निरस्त किया जाना न्यायोचित होगा । प्रस्तुत आवेदन पत्र समय सीमा एक माह के पश्चात अत्यंत विलंब से प्रस्तुत किये जाने से खारिज किये जाने योग्य हैं । अतः वादी द्वारा प्रस्तुत व्यवहार वाद क्रमांक 31ब/2019 को पुनः स्थापित किये जाने संबंधी वाद/आवेदन पत्र को सारहीन होने से सव्यय निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।

उभयपक्षों का तर्क श्रवण किया गया ।

प्रकरण का अवलोकन किया गया । जिससे दर्शित होता है कि इस न्यायालय के व्य0वा0क्र0 31बी/2019 किशोर कुमार करमदानी विरूद्ध नारायण साहू के वाद को पेशी दिनांक 06.07.2022 को वादी के उपस्थित न होने के कारण अदम पैरवी में खारिज कर दिया गया है ।

In case of Rafiq And Another v. Munshilal and Another[3], the supreme court held that the obligation Of the Party is to select his advocate, brief him, pay the fees and trust the learned advocate to do the rest of the things. It is thus a Duty of lawyer to attend the proceeding. The supreme court held us under:-

"the disturbing feature of the case is that under our present adversary legal system where the parties generally appear through their advocate, the obligation of the parties is to select his advocate, brief him, pay the fees demanded by him and then trust the the learned advocate to do the rest of the things. The party may be a villager or may belong to a rural area and may have no knowledge of the court's procedure. After engaging a lawyer, the party may remain supremely confident that the lawyer will look after his interest. At the time of the hearing of the appeal, the personal appearance of the party is not only not required but hardly useful. Therefore, the party having done everything In his power to effectively participated in the proceedings can rest assured that he has neither to go to the high court to inquire as to what is happening in the high court with regard to his appeal nor is he to act as a watchdog of the advocate that the latter appears in the matter when it is listed. It is no part of his job."

उपरोक्त न्यायदृष्टांत एवं आवेदक द्वारा अपने आवेदन में

अनुपस्थिति का जो कारण दर्शित किया है, वह सद्भाविक प्रतीत होता है, आवेदन के समर्थन में आवेदक द्वारा स्वंय का शपथपत्र भी प्रस्तुत किया है, आवेदक द्वारा अपने तर्क में ध्यान इस ओर भी आकृष्ट किया है कि उक्त व्यवहार वाद को **आदेशार्थ कार्यवाही में अदम पैरवी में खारिज किया गया हैं** । आवेदक/वादी को सुनवायी का पूर्ण अवसर प्रदान किया जाना एवं मामले का गुणदोष के आधार पर निराकृत किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। अतः आवेदन अंतर्गत आदेश 09 नियम 09 व्य.प्र.सं. स्वीकार करते हुये व्य.वा.क्र. 31 बी/2019 किशोर कुमार करमदानी विरूद्ध नारायण साहू को खारिज किये जाने का आदेश अपास्त कर पुनः उसी क्रमांक पर पुनःस्थापित किये जाने का आदेश पारित किया जाता है।

उभयपक्ष को निदेर्शित किया जाता है कि प्रकरण की कार्यवाही हेतु दिनांक 10.04.2024 को आवश्यक रूप से उपस्थित रहे ।

प्रकरण आई.ए.क्रमांक 1/2023 निराकृत ।

विविध व्यवहार वाद समाप्त ।

विविध व्यवहार वाद 02/2023 को सुव्यवस्थित कर नियत अवधि में अभिलेखागार प्रेषित किया जावे ।

सही/-
(योगिता कुंवर)
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2
राजनांदगांव, जिला राजनांदगावं (छ०ग०)